सचिका स0–7 / विविध–28–11 / 2023– 250 (7/8)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 08 / 06 / 2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के 10 (दस) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी जिला अस्पतालों (**District Hospitals**) तथा अनुमंडलीय अस्पतालों (**Sub Divisional Hospitals**) के अन्तःवासी रोगियों (**In-door Patients**) के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन, यथा–'दीदी की रसोई' के माध्यम से करने एवं इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति को कुल रु० 15,12,00,000 / –(रुपये पन्द्रह करोड़ बारह लाख) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबध मे कहना है कि विभागीय सकल्प सख्या–441(10), दिनाक–10.02.2021 द्वारा राज्य के सभी जिला अस्पतालो (District Hospitals) तथा अनुमंडलीय अस्पतालों (Sub Divisional Hospitals) के अन्तःवासी रोगियो (In-door Patients) के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एव पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक सगठन, यथा–'दीदी की रसोई' के माध्यम से करने हेतु उनके साथ अनुबंध किये जाने का प्रस्ताव है, जो पॉच वर्षों के लिए किया जाएगा। उक्त सकल्प की कंडिका–7 के आलोक में इसे राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों मे भी लागू किया गया है। यह अनुबंध स्वास्थ्य विभाग की ओर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार तथा दीदी की रसोई की ओर से जीविका के द्वारा किया गया है।

2– भोजन की दर रु० 150 / –प्रति अन्तःवासी रोगी (In-door Patients) प्रतिदिन प्रस्तावित है जिसमें हर वर्ष संभावित मूल्यवृद्धि के आलोक में 5% बढोतरी किया जाएगा। भुगतान हेतु केन्द्रीकृत व्यवस्था का प्रावधान होने के कारण राज्य स्वास्थ्य समिति को यह राशि उपलब्ध किया जाना है।

3– इस कार्य हेतु जीविका द्वारा विनिर्दिष्ट 'दीदी की रसोई' हेतु संबंधित जिला अस्पताल / अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में उपयुक्त स्थान / कमरे / भवन, बिजली, पानी तथा शौचालय की व्यवस्था के साथ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली बिल का भुगतान संबंधित 'दीदी की रसोई' के द्वारा किया जाएगा। अनुबध अवधि में जिला अस्पतालों तथा अनुमंडलीय अस्पतालों के परिसर मे कोई अन्य कैन्टीन संचालित नहीं किया जाएगा। बाह्य रोगियो, रोगियों के परिचर तथा अस्पताल के डॉक्टर, नर्स एवं अन्य कर्मियों के लिए विनिर्दिष्ट 'दीदी की रसोई' ही कैन्टीन सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिसके दर का निर्धारण संबंधित 'दीदी की रसोई' के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के साथ परामर्श कर किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति एव 'जीविका' के द्वारा इस व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाएगा। उक्त हेतु प्रक्रिया का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के परामर्श से किया जाएगा। 05 वर्षों के उपरांत मूल्याकन के आधार पर अनुबंध का विस्तार अगले 05–05 वर्षो के लिए किया जायेगा।

4- तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 मे राज्य के 10 (दस) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालो, सभी जिला अस्पतालो (District Hospitals) तथा अनुमडलीय अस्पतालो (Sub Divisional Hospitals) के अन्तवासी रोगियो (In-door Patients) के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एव पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (जीविका) द्वारा सपोषित सामुदायिक सगठन, यथा-'दीदी की रसोई' के माध्यम से करने एव इस पर होने वाले व्यय के वहन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति को कुल रु० 15,12,00,000/-(रुपये पन्द्रह करोड बारह लाख) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति अनुलग्नक-01 के अनुरूप प्रदान की जाती है।

5- इस राशि की निकासी मांग सख्या-20 अन्तर्गत अनुलग्नक-01 में उल्लेखित सस्थानो के विपत्र कोड अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 मे आहार/पथ्य (21-03) मद में उपबधित राशि से किया जायेगा।

6- इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एव व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPLA011एव विपत्र कोड-00-8448001200027-0001 मे सुलभ करायेगें।

8- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की यह जिम्मेवारी होगी कि विभागीय उक्त संकल्प एवं वित्तीय नियमो का पूर्णत अनुपालन करते हुए राशि जीविका को उपलब्ध करायेंगे।

9- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र स0-8599, दिनाक-01 10 2015 के आलोक मे धन ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

10- यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र स0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनाक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01. 2008, 3923/वि0(2) दिनाक-09 04 2010 एव अद्यतन परिपत्रो के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11- प्रस्ताव एव प्रारुप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

12- प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-7/विविध-28-11/2023 के पृष्ठ-47/टि० पर प्राप्त है।

13- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

8.1.26

(शम्भु शरण)
सरकार के अपर सचिव

D \Alpana ji\Didi ki Rasoi (jeevika) (Diet) docx

ज्ञापाक –7 / विविध–28–11 / 2023 – 150 (7B) / स्वा0, पटना, दिनाक – 08/06 / 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / सबधित अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचित / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–7B / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.6.26.

सरकार के अपर सचिव

D \Alpana ji\Didi ki Rasoi (jeevika) (Diet) docx

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, जिला अस्पतालों (**District Hospitals**) तथा अनुमंडलीय अस्पतालों (**Sub Divisional Hospitals**) के अन्तःवासी रोगियों (**In-door Patients**) के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था हेतु संस्थानवार आहार/पथ्य (21–03) मद में आवंटित की जाने वाली राशि की विवरणीः–

क्रम सं०	संस्थान का नाम एवं विपत्र कोड	उपबंधित –राशि	CFMS में परिलक्षित –राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	सदर एव अनुमंडल अस्पताल 20–2210011100013	14.00.00.000	4,62.00.000	4.62.00.000	0.00
2	पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 20–2210011100001	6.00.00.000	1,92.00.000	1.92.00.000	0.00
3	दरभगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा 20–2210011100002	4,00,00,000	1,32,00,000	1.32.00,000	0.00
4	नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना 20–2210011100004	3,00,00,000	99,00,000	99,00.000	0.00
5	मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया 20–2210011100006	2,00,00,000	66,00,000	66,00.000	0.00
6	श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर 20–2210011100008	2,00,00,000	66,00,000	66,00.000	0.00
7	भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर 20–2210011100009	3,00,00,000	99,00,000	99.00.000	0.00
8	वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज अस्पताल पातापुरी 20–2210011100021	1,50,00,000	49,50,000	49,50,000	0.00
9	राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया 20–2210011100025	9,00,00,000	2,97,00,000	2,97,00,000	0.00
10	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा 20–2210011100026	1,00,00,000	33,00,000	33,00,000	0.00
11	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियां 20–2210011100028	50,00,000	16,50,000	16,50.000	0.00
	कुल–	**46,00,00,000**	**15,12,00,000**	**15,12,00,000**	**0.00**

रु० 15,12,00,000/–(रुपये पन्द्रह करोड़ बारह लाख) मात्र

सरकार के अपर सचिव

D \Alpana ji\Didi ki Rasoi (jeevika) (Diet) docx